न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाड़ा जिला डूंगरपुर (राज०)

नाम पीठासीन अधिकारी! - श्री दिपेन्द्रसिंह राठौड़ आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी सागवाड़ा जिला
डूंगरपुर (राजस्थान)

प्रकरण संख्या 117/13 दायर दिनांक 5/6/13.
फैसल दिनांक 5/6/15

श्री मोतीलाल उर्फ मोतीराम पिता श्री बुधिया व्यास उर्फ करूणाशंकर व्यास जाति ब्राम्हण उम्र 72 वर्ष निवासी जेठाणा तहसील सागवाड़ा जिला डूंगरपुर राज० हाल निवासी फतहपुरा जिला दाहोद गुजरात)

— वादी

बनाम

1- श्री आनन्दलाल पिता डायालाल व्यास जाति ब्राम्हण उम्र 35 वर्ष निवासी जेठाणा तहसील सागवाड़ा जिला डूंगरपुर (राजस्थान)

2- " भूपेन्द्रकुमार पिता डायालाल व्यास जाति ब्राम्हण उम्र 32 वर्ष निवासी जेठाणा तहसील सागवाड़ा जिला डूंगरपुर (राजस्थान)

3- " लालशंकर पिता भूराजी व्यास जाति ब्राम्हण उम्र 62 वर्ष निवासी जेठाणा तहसील सागवाड़ा जिला डूंगरपुर (राजस्थान)

4- " डायालाल पिता भूरा व्यास जाति ब्राम्हण उम्र 65 वर्ष निवासी जेठाणा तहसील सागवाड़ा जिला डूंगरपुर (राजस्थान)

5- " लालशंकर पिता भूरा व्यास जाति ब्राम्हण उम्र 62 वर्ष निवासी जेठाणा तहसील सागवाड़ा जिला डूंगरपुर (राजस्थान)

6- श्रीमान राजस्थान सरकार भूमिधारी मार्फत तहसीलदार साहब तहसील सागवाड़ा जिला डूंगरपुर

— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 रा०का०अ०

बाबत बटवारा करने!

वादी के वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 से 6 के संयुक्त शामलाती खाता मौजा जेठाणा पटवार हल्का जेठाणा

--- 2

परवार इलाका गेहणा तहसील सागवाड़ा जिला डूंगरपुर राज० में संवत 2065-2068 के खाता नम्बर 41 नया 29 पुराना में खेत कुल तीन जिसका कुल रकबा 6 (छः) बीघा 18 (अठारह) बिस्वा है जिस पर वादी का 1/4 हिस्सा शामलात खाते में चला आ रहा है, तथा उक्त खाते की जमीन पर वादी का अपने हिस्से पर काबिज होकर शांति पूर्वक कब्जा है तथा उक्त जमीन पर वर्तमान में प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 का संयुक्त 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नं. 3 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी 4 व 5 का संयुक्त 1/4 हिस्सा है, उक्त खाते का विवरण निम्न प्रकार है !-

खाता नम्बर	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
41 (नयी)			
29 (पुरानी)	2329	एक बीघा पन्द्रह बिसवा	बीड़
	2330	दो बीघा सत्रह बिसवा	बीड़
	2331	दो बीघा छः बिस्वा	बीड़

योग खेत 3 (तीन) कुल रकबा 6 (छः) बीघा 18 (अठारह) बीस्वा

उक्त आराजीयात पर संवत 2053 से 2056 के खातेदार अनिलकुमार, सतीशकुमार पिता श्री जगन्नाथ व ललिता बेवा जगन्नाथ ने अपना 1/4 भाग प्रतिवादी नं. 1 व 2 को संयुक्त बेचान करने के कारण वर्तमान में प्रतिवादी नं. 1 व 2 का 1/4 भाग है, उसी प्रकार सहखातेदार शिवराम पिता श्री कुरीया ने अपना 1/4 भाग का बेचान प्रतिवादी नं. 3 को करने के कारण वर्तमान में प्रतिवादी नं. 3 का 1/4 भाग है एवं बकाया सहखातेदार का भाग बेचान या अन्य किसी प्रकार से अन्तरण नहीं करने के कारण प्रतिवादी नं. 4 व 5 का संयुक्त 1/4 भाग है एवं वादी का 1/4 भाग है, उक्त जमीन में वादी का हिस्सा डूंगरपुर - बांसवाड़ा मुख्य मार्ग पर समानान्तर 1/4 भाग होने के कारण अपने हिस्से के खेत को समतल कर विकास करना चाहता है, जिस कारण खाता अलग करना आवश्यक है, वादी हाल मुकाम फतेहपुरा गुजरात रहने के कारण प्रतिवादीगण जबरन वादी के हिस्से की जमीन खोस लेना चाहते है, जब वादी अपने खातेदारी भूमि में हिस्से की जमीन का मौके पर काबिज अनुसार विधिवत बंटवारा कर खाता अलग करने को कहा गया तो प्रतिवादीगण

--3

ने उसके साथ लड़ाई झगड़ा किया जिससे बटवारा कराने का यह वाद लाने की नौबत आई है अतः मौजा ओबाना में संवत् 2065-2068 के खाता नम्बर 41 नया 29 पुराना में खेत नग तीन जिसका कुल रकबा 6 (छः) बीघा 18 (अठारह) बिस्वा में वादी का 1/4 हिस्सा बटवारा करने की प्रारंभिक डिग्री जारी करने का आदेश फरमाया व वादी के उक्त आराजीयात के 1/4 हिस्से को प्रतिवादीगण से अलग कर राजस्व रेकार्ड में वादी का खाता अलग से दर्ज करवाया जावे व इस आशय का निर्देश प्रतिवादी संख्या 6 को दिया जावे। उपरोक्तानुसार वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिवादीगण ने जवाब प्रस्तुत कर बतलाया कि बटवारा करने की बात वादी ने कभी भी नहीं की एवं प्रतिवादीगण ने कभी भी इस बाबत आनाकानी की है प्रतिवादीगण ने कभी झगड़ा नहीं किया है वादी द्वारा बनावटी वाद कारण बताना बतलाया। वादी द्वारा सम्पूर्ण तथ्य गलत एवं बनावटी रूप से अंकित किये गये है वादी एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से की आराजीयात पर काबिज होना एवं प्रतिवादीगण द्वारा कभी भी वादी के विकास कार्य में अवरोध नहीं करना बतलाया। वादी द्वारा बनावटी वाद कारण पेश करना बतलाते हुवे वादी का दावा खारीज करने निवेदन किया।

उपरोक्तानुसार वाद प्रस्तुत होने पर एवं जवाब प्राप्त होने पर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई।

1- आया वादी मौजा ओबाना में संवत् 2065-68 के खाता नम्बर 41 नया 29 (पुराना) खेत नग तीन रकबा 6 बीघा अठारह बिस्वा में 1/4 हिस्से का सह खातेदार कृषक है अतः वादी अपना 1/4 हिस्सा राजस्व अभिलेख में अलग दर्ज करवाने का अधिकारी है।

— वादी

2- आया वादी की भूमि सहखातेदारी की होकर वादी का 1/4 हिस्सा राजस्व अभिलेख में दर्ज है अतः वादी बटवारा करवाने का अधिकारी है।

— वादी

7-4

गागवाड़ा, जिला डूंगरपुर

Scanned by CamScanner

3- आपका वाद कारण बनावटी है. प्रतिवादीगण ने वादी के कभी विवाद आपत्ति से अवगत नहीं किया है. अतः वादी का वाद खारिज योग्य है।

— प्रतिवादी

4- शहादत !

वादी की गवाह शुरू की गई. वादी की ओर से गवाह श्री मोतीलाल उर्फ मोतीराम पिता कुरीया व्यास उर्फ करुणाशंकर व्यास जाति ब्राह्मण निवासी गड़ावा ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि स्वयं के एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के संयुक्त शामलाती खाता मौजा गड़ावा पटवार हल्का गड़ावा तहसील सागवाड़ा जिला डूंगरपुर राजस्थान में संवत 2065-2068 के खाता नम्बर 41 नया 29 पुराना में खेत नंग तीन जिसका कुल रकबा 6 (छः) बीघा 18 (अठारह) बिस्वा है. जिसमें स्वयं का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 का संयुक्त 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नं. 3 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी 4 व 5 का संयुक्त 1/4 हिस्सा है। जिसका खसरा नम्बर 2329, 2330 व 2331 होना एवं प्रतिवादी नं. 3 व 4 का नाम राजस्व रेकर्ड में अलग अलग दर्ज होने के कारण अलग अलग प्रतिवादीगण बनाना बतलाया। उक्त भूमि में अपना हिस्सा डूंगरपुर-बांसवाड़ा मुख्य मार्ग पर समानान्तर 1/4 भाग होने के कारण अपने हिस्से के खेत को समतल कर विकास करना बतलाते हुवे इसी कारण से खाता अलग करवाने की आवश्यकता होना बतलाया। ताकि पक्षकारों में कोई विवाद नहीं रहे। हाल मुकाम फतेहपुरा गुजरात रहने के कारण प्रतिवादीगण उनके हिस्से की जमीन खोस लेना चाहते है, इसलिये विधिवत बंटवारा कर खाता अलग करवाने निवेदन किया। स्वयं के एवं प्रतिवादीगण के सीरकती खाते की भूमि जमाबंदी की नकल संवत 2065 से 2068 प्रदर्श-1 है. संवत 2053-56 की जमाबंदी की नकल प्रदर्श-2 होना प्रतिवादी नं. 3 व 5 एक ही व्यक्ति होना किन्तु अलग अलग होने से पक्षकार बनाना बतलाया। जीरह में वर्तमान खाता आनन्दलाल, भूपेन्द्र पिता रूपालाल 1/4, रूपालाल, लालशंकर पिता भूराजी 1/4, लालशंकर पिता भूरा 1/4 एवं मोतीराम पिता कुरीया जी 1/4 भूमि दर्ज होना एवं पहले कभी बंटवारा नहीं होना बतलाया। फतेहपुरा में चाय नाश्ते की दुकान होना

-- 5

Scanned by CamScanner

जेठाणा में मकान होना, प्रतिवादीगण आगे से जाने नहीं देना एवं आगे सड़कवाली जमीन के पास करीब पच्चास फीट का रास्ता सभी खेतों के लिये होना बतलाया। प्रतिवादीगण द्वारा झगड़ा करने से दावा तथा पन्द्रह साल से लड़ाई होना बतलाया।

वादी की ओर से प्रस्तुत गवाह श्री प्रकाशचन्द्र पिता मोतीलाल उर्फ मोतीराम व्यास जाति ब्राम्हण निवासी जेठाणा हाल निवासी फतहपुरा जिला दाहोद ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर बयान कर वादी के बयानों की पुष्टि की उक्त भूमि में अपने पिता का 1/4 भाग डूंगरपुर - बांसवाड़ा मुख्य मार्ग पर समानान्तर 1/4 भाग होने के कारण अपने हिस्से के खेतों को समतल करवाना एवं खाता अलग करना बतलाया। पिता बीमार होने तथा पूरा परिवार हाल मुकाम फतहपुरा गुजरात रहने के कारण प्रतिवादीगण जबरन अपने हिस्से की भूमि जोतना बतलाया। जीरह में बतलाया कि जब जब भी बंटवारे की बात हुई, आपसी समझौता एवं बोलाचाली हुई तथा वर्तमान में चार खातेदार होना व इस वर्ष स्वयं द्वारा या प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर खेती नहीं करना बतलाया। फतहपुरा में होटल का धन्धा करना बतलाया।

प्रतिवादीगण की ओर से श्री दयालाल पिता भूराजी व्यास निवासी जेठाणा, लालशंकर पिता भूराजी व्यास निवासी जेठाणा एवं आनन्दलाल पिता दयालाल व्यास निवासी जेठाणा ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर बयान प्रस्तुत किये। दयालाल ने अपने बयान में बतलाया कि वादी का हिस्सा डूंगरपुर - बांसवाड़ा मुख्य मार्ग पर होने की बात को गलत बतलाया, वादी द्वारा कभी बंटवारे की बात नहीं करना एवं प्रतिवादीगण द्वारा कभी दखलन्दाजी नहीं करना बतलाया। वादी के द्वारा दावे के सम्पूर्ण तथ्य गलत एवं बनावटी बतलाकर अंकित करना बतलाया, वादी प्रतिवादी अपने अपने हिस्से की आराजीयात पर काबिज होना एवं प्रतिवादी द्वारा विक्रय आदि में कोई अवरोध पैदा नहीं करना बतलाया। वादी नाहक बार बार प्रतिवादीगण पर आरोप लगाकर तंग, परेशान एवं बदनाम करना बतलाया।

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी के जवाब की तस्दीक पिता भूरजी एवं आनन्दलाल पिता डायालाल ने प्रतिवादी डायालाल के बयानों की पुष्टि करते हुवे वादी का हिस्सा डूँगरपुर-बांसवाड़ा मुख्य सड़क मार्ग पर होने की बात को गलत बता भूमि सीरकती खाते की होना एवं वादीगण की सीरकती खाते की भूमि का बटवारा करने सहमत होना बतलाया।

उपरोक्तानुसार [illegible] पश्चात वकील पक्षकारान की बहस समाप्त की गई. वकील वादी ने अपनी बहस में बतलाया कि मौजा जठाणा के खाता नम्बर 41/29 जिसे किता तीन रकबा 6 (छः) बीघा 18 (अठारह) बिस्वा सीरकती खाते की भूमि है जिस पर वादी प्रतिवादी अपने हिस्सेनुसार काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं, वादी अपने हिस्से की डूँगरपुर-बांसवाड़ा मुख्य मार्ग पर समानान्तर 1/4 भाग का विभाजन करना चाहता है, अतः सीरकती खाते की उपरोक्तानुसार भूमि को डूँगरपुर-बांसवाड़ा मुख्य मार्ग पर समानान्तर चार हिस्सों में किया जाकर वादी के हिस्से की भूमि 1/4 हिस्सा राजस्व अभिलेख में दर्ज करने निवेदन किया।

वकील प्रतिवादी ने बहस में प्रस्तुत जवाब के तथ्य बतलाते हुवे वादग्रस्त भूमि सीरकती खाते की होना एवं वादी-प्रतिवादी अपने अपने हिस्से पर काबिज होना, वादी के साथ कभी कोई विवाद नहीं होने झूठे तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत वाद खारिज करने निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन कर प्रस्तुत वाद, जवाब एवं वादी-प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत शहादत एवं वकील पक्षकार द्वारा बहस में बतलाये तथ्यों पर मनन किया, तनकीवार निर्णय निम्नानुसार पारित किया जाता है।

तनकी No. 1. मौजा जठाणा में सम्वत 2065-68 के खाता नम्बर 41 नया 29 (पुराना) अनुसार वादग्रस्त भूमि वादी-प्रतिवादीगण के सीरकती खाते की है, जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा दर्ज रेकर्ड है, अतः भूमि का बटवारा करा वादी भूमि राजस्व अभिलेख में अलग खाता दर्ज

(signature)

करवाने का अधिकारी है, अतः यह तनकी बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 2 :- तनकी नम्बर 1 के निर्णयानुसार वादी खातेदार होकर भूमि का बटवारा करवाने का अधिकारी होने से यह तनकी बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 3 :- वादी को प्रतिवादीगण द्वारा भूमि का बटवारा करने में सहयोग नहीं करने के कारण ही वादी दावा लेकर आया है। अतः यह तनकी बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उपरोक्तानुसार तनकी नम्बर 1 से लगायत 3 तक बहक वादी निर्णित होने से वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री जारी करते हुये तहसीलदार सागवाड़ा को आदेश दिया जाता है कि मौजा जेठाणा में संवत् 2065-2068 के खाता नम्बर 41 तथा 29 पुराना में खेत नंग तीन रकबा 6 (छः) बीघा 18 (अठारह) बिस्वा का पक्षकारान के मध्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 20 के अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में हिस्से अनुसार डूंगरपुर - बांसवाड़ा मुख्य मार्ग पर समानान्तर बटवारा कर रिपोर्ट मय नक्शा फर्द तीन प्रति में प्रस्तुत करे। तहसीलदार सागवाड़ा को उपरोक्त निर्णयानुसार बटवारा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने तहरीर जारी की जावे।

3/6/13

(दिपेन्द्र सिंह राठौड़)

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

सागवाड़ा